1
समाज कार्य अवधारणाओं का परिचय–I

* सुरेन्द्र सिंह

प्रस्तावना

समाज कार्य अपेक्षाकृत एक नया और सामाजिक रूप से कम मान्यता प्राप्त व्यवसाय, मुख्यतः इस कारण से है कि इसके परिणामों में सहज प्राप्ति की दृश्यता को प्रमाणित करने की क्षमता नहीं है जो इसके अभ्यास का अनुकरण करते हैं। इस अक्षमता के पीछे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है कि सामाजिक सम्बन्धों का व्यावसायिक अभ्यास/सहायता के मुख्य साधन के रूप में उपयोग जो अपनी यथार्थ प्रकृति से अमूर्त है। इस अभ्यास/सहायता का मुख्य सम्बन्ध समाज में लोगों की व्यक्तित्व संरचना और सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के साथ है और ये दोनों भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं है। व्यवसाय के अभी नये विकास के कारण, विभिन्न शब्दों जो कि कक्षा में अध्यापन, समाज कार्य में शोध करने और समाज में आवश्यकता ग्रस्त लोगों के साथ व्यवसाय के व्यवहार करने के दौरान प्रयोग किये जाते हैं, के विषय में अत्यधिक भ्रम की स्थिति है। चूंकि, प्रभावी व्यावसायिक व्यवहार, उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं के भावों की स्पष्टता की मांग करता है, यह आवश्यक हो जाता है कि उन्हें स्पष्ट और परिभाषित किया जाये तथा समाज कार्य में प्रयोग की जाने वाली समान अवधारणाओं या अन्य समाज विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली जिनसे समाज कार्य ने अत्यधिक ज्ञान ग्रहण किया है, के बीच भेद को प्रकट किया जाये। कुछ विचारणीय पृथक–पृथक अवधारणायें इस प्रकार हैं: दान, श्रमदान, सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामाजिक न्याय, सामाजिक आन्दोलन, सामाजिक संजाल, सामाजिक नीति, समाज सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सेवाएँ, समाज कल्याण और समाज कार्य।

परोपकार, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान

प्रायः परोपकार को, विशेष रूप से भिक्षा देने को, भी समाज कार्य माना जाता है जो सही नहीं है। शब्द परोपकार, जैसा कि वेबस्टर्स इन्साइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी (1996 :248) में परिभाषित किया गया है निर्देशित करता है कि "भौतिक पुरस्कार की आशा किये बिना परोपकारार्थ क्रियाएँ, भिक्षा देने के रूप में या आवश्यकता ग्रस्त लोगों के लिए कोई अन्य प्रकार की परोपकारी क्रियाएं करना।"

सम्पूर्ण विश्व के अधिकांश संगठित धर्मों ने दान का आवश्यक नैतिक गुण के रूप में समर्थन किया है जिसका उनके अनुयायियों को धारण करना चाहिये। इसको पुष्ट करते हुए मुजीब

* सुरेन्द्र सिंह, कुलपति, म.गां. काशी विद्यापीठ, वाराणसी

(1968 : 324) लिखते हैं : "प्रत्येक धर्म दान की आज्ञा देता है, और दान के कुछ स्वरूप सभी धर्मों के अभ्यास में एक अत्यावश्यक तत्व है।" हिन्दू धर्म दान को पवित्र करता है। दान के विषय में अति प्राचीन उल्लेख प्राचीनतम ऋग्वेद में खोजा जा सकता है जिसमें ईश्वरीय शक्ति देने हेतु भगवान् शंकर की अत्यधिक स्तुति की गयी। दान को बढ़ावा देते हुए यह उल्लेख करता है (1.XIII.2) : "कोई हो सकता है जो सबसे अधिक चमक देता है।" सभी हिन्दू धर्म ग्रन्थ बिना भ्रम के परोपकार के प्रभाव का समर्थन करते हैं जिसका प्रत्येक गृह स्वामी द्वारा निश्चित रूप से अभ्यास किया जाना चाहिये। परोपकार आध्यात्मिकता में एक अभ्यास के रूप में और सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रत्येक हिन्दू द्वारा ऋण (विभिन्न प्रकार के ऋणों जिनसे प्रत्येक हिन्दू अनुग्रहीत होता है) चुकाने के लिए कर्तव्य को पूर्ण करने के रूप में गौरवान्वित है। किन्तु इस बात के लिए सावधान किया गया है कि दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिये जो इसके लिए योग्य हो। अत्रि सन्हिता स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है कि एक अयोग्य व्यक्ति जो सहायता प्राप्त करता है, चोरी करता है, और जो व्यक्ति उसे सहायता देता है वह उसे चोरी में सहारा देता है। प्राय: ब्राह्मणों (ज्ञानार्जन के प्रति गम्भीरता से समर्पित विद्यार्थियों) और अशक्तों सहित मनुष्यों को उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में समझा जाता था।

प्राचीन बाइबिल ने परोपकार पर अत्यधिक जोर दिया है। यहूदियों ने ईश्वर की आज्ञा का पालन करने और आवश्यकताग्रस्तों की देखभाल के लिए निर्देश दिये हैं। जूडिज्म में पड़ोसियों के लिए स्नेह का समर्थन एक महत्वपूर्ण कर्तव्य के रूप में किया गया है।

ईसाई–धर्म स्नेह द्वारा बन्धुता का समर्थन करता है। "कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास सांसारिक वस्तुएँ हैं जिनकी उसे इच्छा है, और वह देखता है कि उसका भाई अभाव में है, यदि वह गुप्त रूप से हृदय से अपने भाई के विरुद्ध है, हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर का स्नेह उसमें निवास करता है। ईसा मसीह ने स्वयं कहा है : 'मैं भूखा था और आपने मुझे भोजन दिया; मैं प्यासा था और आपने मुझे पेय दिया; मैं परदेशी था और आपने मेरे लिए आवास का प्रबन्ध किया; मैं वस्त्रहीन था और आपने मुझे वस्त्र पहनाये; मैं बीमार था और आपने मेरी देखभाल की; और मैं एक कैदी था और आप मेरे पास आये.....मुझ पर विश्वास किया, जब आपने यह मेरे भ्रातगणों के अल्पतम एक व्यक्ति के लिए किया, तो यह आपने मेरे लिए किया" (मथाई, 1968 : 318–22)

इस्लाम में, परोपकार का वर्णन प्रार्थना के समतुल्य के रूप में किया गया है, मुजीब (1968 : 324) लिखते हैं "प्रत्येक मुसलमान के रूप में व्यक्ति को प्रार्थना अवश्य करना चाहिये, यदि वह निर्धारित न्यूनतम सम्पत्ति अधिकृत किये हुए है तो उसे सार्वजनिक कोष (बैत–अल–माल) के लिए अंशदान भी अवश्य देना चाहिये। बाध्यकारी भुगतानों से पृथक, मुसलमानों के ऊपर दानशीलता, अतिथि–सत्कार, भूखे को भोजन कराना और यात्रियों के

लिए सुख–साधनों का प्रबन्ध करना दायित्व के रूप में लादा गया है जो कि लगभग बन्धन के रूप में है जैसे कोई धार्मिक आदेश।" विशेष अवसरों पर मुसलमान लोग अपने मित्रों, सम्बन्धियों और गरीबों के बीच मिठाइयाँ, फल और यहाँ तक कि धन भी बाँटते हैं। इस्लाम के पाँच मूलभूत सिद्धान्तों में से एक भिक्षा देना है; और वक्फ, दान के उद्देश्य हेतु सम्पत्ति का न्योछावर करना, मुस्लिम कानून का एक महत्वपूर्ण भाग है। ज़कात, फित्रह, सदका या खैरात दान से सम्बन्धित इस्लाम की प्रसिद्ध अवधारणाएँ हैं। ज़कात के अन्तर्गत प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को उसकी वार्षिक आय का चालीसवाँ भाग दान पर व्यय करना आवश्यक होता है। यह अल्लाह का भाग होता है। फित्रह के अन्तर्गत, वे जो सोना, आभूषण, मकान या किसी भी प्रकार की बहुमूल्य सम्पत्ति रखते हैं उन्हें उनकी बचत के 2.5 प्रतिशत की दर से भुगतान करना आवश्यक है जो कि गरीबों और आवश्यकताग्रस्त लोगों के बीच वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को इसके प्रत्येक सदस्य के लिए 3.5 कि.ग्रा. के हिसाब से गेहूँ दरिद्रों के बीच वितरित करना आवश्यक है। सदका या खैरात, भिक्षा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी कामना या इच्छा के अनुसार दे सकता है। ठीक इसी प्रकार से अक्विका जैसे (प्रथम बार बच्चे के बालों को मूँड़ना) महत्वपूर्ण संस्कारों पर एक धार्मिक मुसलमान को लड़की के मामले में एक बकरा या लड़के के मामले में दो बकरों की बलि अवश्य देनी चाहिये और उसके मांस को तीन भागों में बाँटना चाहिये और एक भाग गरीबों में बाँटना चाहिये तथा एक भाग सम्बन्धियों के बीच बाँटना चाहिये, केवल एक भाग को रखते हुए पारिवारिक सदस्यों द्वारा उपभोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि बकरे (रों की खाल की बिक्री की आमदनी और बच्चे के बालों के वजन के समतुल्य नकद या चांदी गरीबों के बीच वितरित की जानी चाहिये।

पारसी धर्म के अनुयायी, जाराथुस्तरा का अनुसरण करने वाले और भारत में साधारणतया पारसियों के रूप में जाने जानें वाले "उष्ता अहमाई येहमाई उष्ता केहमाईंचित" (गाथा उष्तावैती) में विश्वास करते हैं जिसका अर्थ है "सुख उसके पास होता है, जो दूसरों को सुख देता है" पारसियों की पंचायतों और अन्जमनों तथा पारसी न्यासों ने भी गरीबों और दीन–दुखियों की सहायता के क्षेत्र में एक प्रशंसनीय कार्य किया है। (देसाई : 1968 : 328–34)

सिक्ख इतिहास ईश्वर की प्रसन्नता या ईश्वरीय कृपा के लिए किसी सम्प्रदाय या धार्मिक विश्वास पर विचार किये बिना, सम्पूर्ण मानवता के प्रति स्वैच्छिक सेवा के असंख्य उदाहरणों से परिपूर्ण है। गुरू नानक देव ने स्पष्ट रूप से कहा है : "वह जो संसार में दूसरों की सेवा करता है, ईश्वर के दरबार में एक आसन प्राप्त करता है।" गुरू गोविन्द सिंह ने एक राजाज्ञा प्रकाशित की जिसके अनुसार प्रत्येक सिक्ख को अपने समुदाय के पक्ष में अपनी आय का दसवाँ भाग (दसावन्द) त्याग करना आवश्यक है। (सिंह, 1968 : 334–340)

बौद्ध और जैन दोनों धर्मों ने गरीबों और दीन दुखियों के लिए करूणा का समर्थन किया है जहां से सभी प्रकार का दान उत्पन्न होता है।

दान चाहे नकद में हो या वस्तु के रूप में, समाज कार्य से इस अर्थ में भिन्न है कि पहले अस्थायी सहायता में परिणत होता है और प्राप्त करने वाले को दान देने वाले पर आश्रित बना देता है परन्तु इसकी जड़ें हलांकि दान में निहित है, यह लोगों के मध्य स्वयं सहायता के लिए क्षमता का विकास या तो उन्हें सेवायें देते हुए या अवरोधक और हरण करने वाली सामाजिक व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन उत्पन्न करते हुए करता है।

स्वैच्छिक क्रिया

कष्ट से पीड़ित भाई–बन्धुओं के प्रति करूणा मानव प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण है। यह एक सहज मानवीय प्रेरणा है। यह इस आधारभूत आवेग के कारण से है कि लोग अपनी इच्छा से निरन्तर आगे आते हैं और विपत्ति में व्यक्तियों की सहायता का प्रबन्ध करने हेतु राजी होते हैं। यदि हम लोगों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं पर ध्यान देते है, तो हम स्पष्ट रूप से पाते है कि इन आवश्यकताओं को विस्तृत रूप से भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। लोग मात्र अपनी उत्तरजीविता ही नहीं चाहते परन्तु वे स्नेह, अनुराग, स्वायत्तता, सम्मान, मान्यता, आत्म–वास्तविकीकरण और उपरिलिखित सभी नैतिक और आध्यात्मिक विकास जिसके लिए वे दान के वितरण का सहारा लेते हैं और विभिन्न प्रकार की सहायता का प्रबन्ध करते है। सामान्यतः यह उनकी परोपकारिता की स्वाभाविक अनुभूति, सम्पूर्ण मानव जाति या कम से कम, उनके स्वयं के समाज के सदस्यों की सेवा करने की निष्ठा और समर्पण के कारण है कि लोग अपने सहायता के हाथ आवश्यकतायुक्त व्यक्तियों के लिए बढ़ाते हैं, यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण निस्वार्थता के साथ हो (निश्चित रूप से प्रायः यह दान या समाज में उत्पीड़ित और दमित व्यक्तियों के प्रति अन्य प्रकार की सहायता के माध्यम से बचाव द्वारा उनकी मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग जाने की इच्छा या जन्म, मृत्यु और पुर्नजन्म के चक्र से मुक्ति पाने के कारण होता है कि लोग स्वयं को स्वैच्छिक क्रिया में सम्मिलित करते हैं)। तथापि, वे जो दान देते है या जो सहायता वे उपलब्ध कराते हैं या जो सेवायें वे देते हैं उसके लिए कोई मूर्त वस्तु की अपेक्षा सामान्यतः नहीं करते है। स्वैच्छिक क्रिया वह है जो लोगों द्वारा स्वेच्छापूर्वक उनकी स्वयं की मनोकामना और अभिलाषा के परिणाम स्वरूप किए गये कार्य के बदले में किसी भी प्रकार की मूर्त वस्तु की प्राप्ति की अपेक्षा किये बिना करूणा की स्वाभाविक अनुभूति और दूसरों के कल्याण से सम्बन्ध रखने के कारण उनकी स्वयं की इच्छा और अनुरूपता के आधार पर की जाती है। दूसरे शब्दों में, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता या सेवा है जो लोग अपनी करूणा की अनुभूति के कारण वैयक्तिक रूप से या

सामूहिक रूप से दूसरों की सहायता, विशेष रूप से वे लोग गरीबी, खराब स्वास्थ्य, निष्क्रियता, निरक्षरता, दमन, अत्याचार, दुर्व्यवहार, शोषण इत्यादि के पीड़ित होते हैं, के लिए उपलब्ध कराते हैं।

स्वैच्छिक क्रिया प्रमुख रूप से निम्नलिखित के द्वारा गुणयुक्त है :

1) सभी सम्भव तरीकों द्वारा दूसरों की सहायता और उनके कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वाभाविक प्रेरणा–मौद्रिक रूप से जरूरी नहीं ।

2) सहायता दिये जाने के बदले में कोई वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की अपेक्षा का लोप होना।

3) सामाजिक सम्बद्धता की समझ और आवश्यकता में दूसरों को सहायता का पूर्वाभिमुखीकरण।

4) मानवता के लिये सेवा की श्रेष्ठ निष्पत्ति में विश्वास।

5) एक व्यक्ति के अधिकार के विषय में एक व्यक्ति और कर्तव्य की प्रमुखता में विश्वास।

तथापि मानव स्वभाव का अन्य पक्ष है। मनुष्य अपने स्वभाव से स्वार्थी भी है। व्यक्तिवाद, भौतिकवाद और सुखवाद के वर्तमान युग में, इस आत्मोपकार की प्रवृत्ति भी परिवर्द्धित हो चुकी है। इसने स्वैच्छिकवाद और स्वैच्छिक क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। आज लोग प्रारम्भ में ही जानना चाहते हैं कि हितलाभ क्या हैं जो उनके लिए किसी भी चीज में से परिवर्द्धित होंगे जिसे वे करते है या कोई कार्यक्रम या क्रिया कलाप जिसमें वे भाग लेतें हैं। फिर भी, इन सब का तिरस्कार करते हुए, अभी तक भी लोग हैं जो स्वैच्छिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। अतः, बदले हुए प्रकरण में, लोगों की उपर्युक्त सभी अपेक्षाओं उदाहरणार्थ उनकी यात्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ते और उनकी आधारभूत उत्तरजीविता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें समर्थ बनाने के लिए एक सन्तुलित/प्रतीक मानदेय के भुगतान को सम्मिलित करने के लिए स्वैच्छिक क्रिया की परिभाषा को पुनर्विचारित किया जाना चाहिये।

कदाचित बहुत से स्रोत है जो स्वैच्छिकवाद को सुदृढ़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नैतिक/धार्मिक उपदेश स्वैच्छिक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेरण को शक्तिशाली बना सकते हैं। इसी तरह, कुछ लोकोपकारी/धर्मार्थ संगठनों के अनुकरणीय कृत्य मानवीय दुखों की सहायता के लिए अनुभूति को तीव्र कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ वीभत्स घटनायें या त्रासदी पीड़ितों के लिए कुछ करने की अनुभूति उत्पन्न कर सकती

है। माता–पिता/शिक्षकों/संतों द्वारा सिखाया गया नीतिशास्त्र और अन्य आदर्श व्यक्ति भी एक व्यक्ति को कुछ प्रकार की परोपकार सम्बन्धी कार्यों में लगने के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं। इस भौतिक संसार की नश्वरता और इसके सृष्टिकर्ता की अनंतता, के बोध के कारण आध्यात्मिकता का विकास दूसरों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए त्याग का अनुभव करने और भौतिक वस्तुओं के अधिपत्य को छोड़ देने की एक इच्छा को उत्पन्न कर सकता है।

श्रम दान (स्वैच्छिक शारीरिक श्रम)

अधिकांश लोगों में श्रमदान को समाज कार्य का नाम देने की प्रवृत्ति है जो कि सिरे से गलत और भ्रामक है। श्रमदान की उत्पत्ति हिन्दी भाषा में हुई है। यह दो शब्दों श्रम (शारीरिक श्रम) और दान (दान देना) से मिलकर बना है। दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने पर इसका तात्पर्य है कि भवन–निर्माण या निर्माण या वृक्षारोपण के कार्य के कुछ प्रकारों के माध्यम से सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक रूप से श्रम करने का कृत्य। श्रमदान की महत्वपूर्ण विशेषतायें है : (अ) शारीरिक श्रम; (ब) स्वेच्छापूर्वकता, (स) सामूहिक और सहकारी रूप से प्रयास करना; (द) कुछ सामान्य जनता की भलाई को बढ़ावा देना या कुछ सामान्य जनता के हितों की सुरक्षा। सारे विश्व में, विशेष रूप से भारत में लोगों के कल्याण का बढ़ावा देने के लिए साथ–साथ कार्य करने की एक बहुत स्वस्थ परम्परा है। सामाजिक उद्विकास की प्रारम्भिक अवस्था में जब जीवन अत्यन्त कठोर था क्योंकि लोगों को केवल विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का ही सामना नहीं करना पड़ता था बल्कि सभी प्रकार के जोखिमों, विशेषतः पशुओं और विषैले सर्पों से बचाव भी करना होता था। परिष्कृत औजार और साधन उपलब्ध नहीं थे, और लोगों को अपनी वास्तविक उत्तरजीविता के लिए स्वैच्छिक रूप से अपने श्रम का योगदान करते हुए साथ–साथ कार्य करना पड़ता था। यह या तो चट्टानों का तोड़ना या विस्थापन करना था या फिर यह घने जंगलों के बीच संकीर्ण मार्गों के निर्माण हेतु झाड़ियों की कटाई था या जानवरों का शिकार उनका मांस खाने के लिए या नालों और नदियों के ऊपर काम चलाऊ पुलों का निर्माण या किन्हीं नदियों के तट पर तट–बन्धन अथवा बांध का निर्माण या पीने के पानी के उद्देश्य से कुओं या तालाबों की खुदाई करना या यात्रियों के लिए उन्हें आराम हेतु समर्थ करने के वास्ते मार्गों के किनारे आश्रय–स्थानों का निर्माण या सामुदायिक उत्सवों के लिए भोजन पकाना, स्वैच्छिक शारीरिक श्रम अनिवार्य था। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से जारी रही जब तक कि सामुदायिक जीवन भ्रातृभाव या एकरूपता की अनुभूति के साथ या समुदाय का सदस्य होने के द्वारा विशिष्ट गुण युक्त था और उनके द्वारा किये गये कार्य के बदले में क्षतिपूर्ति के लिए श्रम को किराये पर लेने के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के निष्पादन के माध्यम से लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के उत्तरदायित्व को राज्य द्वारा समाज की

एक संस्था के रूप में ग्रहण करने तक। यहाँ तक कि वर्तमान में असंख्य उदाहरण है जहाँ कि लोग समूह में एकत्रित हो कर लोगों के जीवन और जीवन–निर्वाह की दशा में सुधार को उत्पन्न करने के लिए–सम्भवतः सड़कों, नहरों, सिंचाई के साधनों, नालियों इत्यादि के निर्माण के माध्यम से या तालाबों, कुओं, कूड़ा–खाद के गड्ढों इत्यादि की खुदाई के माध्यम से या नदियों, झीलों, तालाबों इत्यादि के बांधों अथवा तट–बन्धनों के निर्माण अथवा मरम्मत के माध्यम से या सामुदायिक झोपड़ियों, सरायों, धर्मशालाओं इत्यादि के निर्माण के माध्यम से अपने शारीरिक श्रम के योगदान द्वारा साथ–साथ कार्य करते हैं।

वस्तुतः सरकार ने इस प्रकार के कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल कैडेट कोर, इत्यादि को विशेष रूप से श्रम की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने और इसको युवकों के व्यक्तित्व के एक भाग के रूप में अन्तर्निवेशन करने के एक प्रयोजन के साथ प्रारम्भ किया है। जहां लोगों की परिस्थितियों को बेहतर बनाने हेतु वह क्षेत्र जिसमें कि उन्होंने कार्य करने का निश्चय किया है, शिक्षित युवकों से उनका स्वैच्छिक शारीरिक श्रम अपेक्षित है। निर्विवाद रूप से, श्रमदान सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से स्वैच्छिक शारीरिक श्रम का एक विशाल भण्डार सुलभ होता है जो अन्ततः निश्चित उपलब्धियों के अनेक प्रकारों में चरम बिन्दु पर पहुँचता है। तथापि, यह समाज कार्य से भिन्न है न केवल उद्देश्यों के विशेष ढंग से बल्कि पद्धतियों और प्रविधियों के अतिरिक्त दर्शन के विशेष ढंग से भी। श्रमदान कुछ ठोस कार्य की कुशल प्राप्ति का उद्देश्य रखता है, विशेष रूप से लोगों के समूह के शारीरिक श्रम के स्वैच्छिक एकत्रीकरण करने के द्वारा जोकि जनता की भलाई के लिए किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व जो उन्होंने लिया है के बदले में किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते हैं। इसका आधारभूत दर्शन है सह–बन्धुओं के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक व्यक्ति का अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का कर्तव्य। इसी प्रकार उल्लेखनीय कर्तव्य जिसे शारीरिक श्रम लोगों के व्यक्तित्व और सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के भी विशुद्ध, बहुमुखी और समन्वित विकास में निभाता है। श्रमदान के विपरीत, समाज कार्य एक विशेषीकृत प्रकृति का क्रियाकलाप है जिसके प्रभावशाली निष्पादन के लिए ज्ञान के एक विशिष्ट निकाय के अतिरिक्त तकनीकी कौशल भी आवश्यक होता है।

इसके लक्ष्यों में व्यक्ति की समाज में सामाजिक क्रिया में सुधार करना या सामाजिक व्यवस्था में इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करना ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार की अवांछनीय पीड़ा या रुकावट से वशीभूत हुए बिना स्वयं के सामर्थ्य की अनुकूलतम उपलब्धि के लिए अवसरों को प्राप्त करे। इसी प्रकार जो समाज उससे अपेक्षाएं

करे उसके लिए योगदानों को उत्पन्न करना और न्यायोचित–प्रतिफल–आर्थिक, मानसिक और सामाजिक प्राप्त करना है।

यह प्रजातांत्रिक और मानवीय दर्शन पर आधारित है जो समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बन्धुत्व के मूल्यों को सुदृढ़ करता है और जो सभी के कल्याण को बढ़ावा देता है जैसा कि हमारे महान् संतों और ज्ञानियों ने हजारों वर्ष पूर्व समर्थन करने के द्वारा कल्पना की थी (सभी प्रसन्न रहें; सभी रोगों से मुक्त रहे; सभी कुशल रहें और कोई भी दुखों को न भोगे)

सामाजिक आन्दोलन और समाज सुधार

सामाजिक आन्दोलन

प्रजातन्त्र का वर्तमान युग वैधानिक युग वैधानिक रूप से अनुज्ञेय एवं सामाजिक रूप से वांछित कुछ भी करने के माध्यम से एक स्वतंत्र, शालीन एवं सम्मानिक जीवन व्यतीत करने के माध्यम से अपने जीवन में सुधार लाने हेतु व्यक्तियों को आश्वासन देता है जिससे व्यक्ति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अनेक प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, आन्दोलन बहुत सामान्य और स्वाभाविक है। परन्तु सामाजिक आन्दोलन शब्द को सामान्यतः विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप करने वालों, राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों इत्यादि के द्वारा भिन्न–भिन्न रूप में प्रयोग किया गया है। दियानी (1993 : 2) के कथन से स्पष्ट है कि : "वस्तुतः शब्द के प्रयोग के विषय में एक सन्निहित, "अनुभवसिद्ध" सहमति का पूर्णतया अभाव है।"

सामाजिक आन्दोलन शब्द "सामाजिक पुर्नसंगठन का लक्ष्य रखते हुए सामूहिक क्रिया के विभिन्न प्रकारों को सम्मिलित करता है"। साधारण रूप से, सामाजिक आन्दोलन श्रेष्ठ तरीके से प्रतिस्थापित नहीं हैं और विशिष्ट या व्यापक परिवेदनाओं की ओर निर्देशित स्वत विरोध प्रकटन से उत्पन्न हुए हैं (एम्बरकाम्बी, हिल एवं टर्नर, 1986.197) । पॉल विल्किन्सन (1971 · 27) के शब्दों में, "एक सामाजिक आन्दोलन किसी भी साधन द्वारा, उग्रता, अवैधता, क्रान्ति या आदर्शवादी समुदाय में परावर्तन को न छोड़ते हुए किसी भी दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु एक सुविचारित सामूहिक प्रयत्न है.....एक सामाजिक आन्दोलन को व्यवस्थापन की एक न्यूनतम मात्रा अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये भले ही यह व्यवस्थापन के एक असंगठित अनौपचारिक या आंशिक स्तर से उत्कृष्ट रूप से प्रतिस्थापित या दफ्तर शाही तरीके से व्यवस्थित आन्दोलन और निगमित समूह तक फैला हो सकता है... .. एक सामाजिक आन्दोलन की परिवर्तन के लिए वचनबद्धता और इसके व्यवस्थापन के निर्धारण के कारण चेतन संकल्प, आन्दोलन के लक्ष्यों के प्रति आदर्श वचनबद्धता या

अनुयायियों अथवा सदस्यों की ओर से विश्वास और सक्रिय सहभागिता पर आधारित हैं। मैकएडम एटल एवं अन्य (वीणा दास (सम्पादित); 2003 : 1525) में उल्लिखित (1988) के अनुसार, "सामाजिक आन्दोलन' सामूहिक सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य क एक असमान प्रतिबिम्ब की ओर संकेत करता है जैसे विषय जातीय क्रान्तियाँ, धार्मिक सम्प्रदाय, राजनीतिक संगठन या एकल विषम अभियान, या उपनिवेश–रोधी मुकाबला और कथित बाहरी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध।"

मैड्डेन (1995 : 1253) के शब्दों में, "एक सामाजिक आन्दोलन बड़ी संख्या में लोगों के संगठित होने के द्वारा गैर–संस्थापित साधनों के जरिये विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन को प्रभावित करने या सामना करने के लिए सम्मिलित विश्वास के माध्यम से एक संगठित प्रयास करना है।"

फक्स और लिंकेन्बेक (2003 : 1525) के अनुसार, " एक सामाजिक आन्दोलन सामाजिक मान्यता की प्राप्ति और अधिकारों के दावे या एक समूह या लोगों की श्रेणी के बारे में अस्तित्वपरक हित जो अब तक अस्वीकृत थे के लिए सामूहिक स्वयं–संगठन का स्वरूप ग्रहण करना है। यह खतरे के विरुद्ध मुकाबला करने या एक समूह के अथवा लोगों की श्रेणी के अधिकारों और अस्तित्व के आधार में कार्यरत रहता है।" यहाँ हम सामाजिक आन्दोलन को समाज में परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु जिसे वे अपने सामान्यतः विचारित आदर्श मानदण्डों के साथ अनुरूपता में एक उपयुक्त और गौरवशाली जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के विषय में अनुकूल और आवश्यक समझते हैं, कोई सुविचारित और लोगों द्वारा किसी संस्थागत संरचना को स्थापित किये बिना सामूहिक कार्य करने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।

एक सामाजिक आन्दोलन की प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1) विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था से कुछ प्रकार का उत्पन्न असंतोष या अत्यधिक उपेक्षित हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए आवश्यकता या कुछ नवीनीकरण को प्रारम्भ करने हेतु चिन्ताकर्षण या एक पृथक सामाजिक पहचान के लिए मान्यता प्राप्त करने की इच्छा जिसका लोग लम्बे समय तक आनन्द ले सकें और जिसका वे खतरा महसूस कर सकते हैं।

2) सामान्य उद्देश्य और कुछ प्रकार के संगठनों के प्रति समान रूचि रखने वाले लोगों के प्रयासों के माध्यम से सामूहिक कार्य प्रारम्भ करने के लिए वचनबद्धता और समर्पण के प्रति जागरूकता।

3) जैसी कि कार्यक्रम सारिणी निश्चित की गयी हो कुछ निरूपित या रूपरेखित योजना के अनुसार एक या अन्य प्रकार की गतिविधि पर सामान्य रूप से सहमति को आरम्भ करना।

4) स्वायत्तता, न्याय, मानव प्रतिष्ठा, मानवाधिकार, सामाजिक मान्यता, सामाजिक बुराइयों के निराकरण के विचारों के लिए कुछ प्रकार का निर्देशन करना।

5) विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियाँ उदाहरणार्थ–विद्रोह, बगावत, सुधार या क्रान्ति और सेवायोजन की पद्धति जैसे– प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव, बन्द इत्यादि।

6) अस्थिर और अल्पकालिक प्रकृति और सामाजिक आन्दोलन के प्रारम्भ होने अथवा समाप्त होने के विषय में स्पष्टता का प्रकट न होना।

सम्भवतः विभिन्न कारणों का एकत्रीकरण होने के परिणाम स्वरूप एक सामाजिक आन्दोलन का आरम्भ हो सकता है। सम्भवतः कुछ बुराइयाँ जैसे–सती, अस्पृश्यता, दहेज, वन–कटाई, बाल–श्रम, बंधुआ मजदूरी इत्यादि जो कि विद्यमान परिस्थिति से असन्तोष के उत्पन्न होने के एक स्रोत के रूप में कार्य कर सकते है। कदाचित लोगों के कुछ प्रभावी समूह/वर्ग उदाहरणार्थ अपराधियों के संगठित समूह, माफिया डान इत्यादि हो सकते हैं जो सम्भवतः उनका दुरूपयोग अथवा शोषण और अनावश्यक उत्पीड़न के लिए दमन कर सकते हैं। कदाचित कुछ धर्म/सम्प्रदाय हो सकते हैं जो कि अपमानजनक रूप से टिप्पणियों विरोध में कर सकते हैं या कुछ दूसरे धर्मों/सम्प्रदायों का दमन करने का प्रयास कर सकते हैं, सामान्यतः अल्पसंख्यक वर्ग में/कदाचित कुछ सिद्धान्त हो सकते हैं जो कि प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों के विरूद्ध हो सकते हैं– अत्यधिक व्यापक रूप से समकालीन समाज में नियन्त्रण की विचारित पद्धति या व्यापक रूप से स्वीकृत मूल्यों और प्रतिमानों के विरुद्ध। सम्भवतः कुछ प्रबल संस्कृतियाँ हो सकती हैं जो कुछ दूसरी विभिन्न संस्कृतियों की खुलआम निन्दा कर सकती है और उनके मूलभूत अस्तित्व को खतरे में डालने का प्रयास कर सकती हैं। कदाचित एक विशेष धर्म या संस्कृति के अनुयायी हो सकते हैं जो उसकी मौलिक प्रकृति या संस्कृति को बहुत निपुणतापूर्ण ढंग से परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। सम्भवतः लोगों के सशक्तीकरण या सतत् विकास या संस्कृति की पृथक पहचान के संरक्षण, लोगों के बीच एकता और सहानुभूति को बढ़ावा देने और सामाजिक एकीकरण के दृढ़ीकरण या देशभक्ति के अंतर्निवेशन या उनके धर्म के हितों के संरक्षण जिसे लोग अपने उपयुक्त और गौरवशाली जीवन–निर्वाह हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, से सम्बन्धित सामयिक हित के कुछ मामले हो सकते हैं तथापि, यह हमेशा याद रखना चाहिये कि शिक्षा के प्रसार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से – सूचना प्रौद्योगिकी, में हुई

तीव्रवृद्धि ने विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक आन्दोलनों के अविर्भाव को तेज किया है जो कि शालीनता, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सभी सामाजिक आन्दोलन अपने प्रतिभागियों को परिस्थिति के सही विश्लेषण और व्याख्या में सक्रियता से कार्यरत रहने हेतु प्रेरित करते हैं– यह किस प्रकार उनके सामान्य सामूहिक हितों को आगे बढ़ाता है या उनका विरोध करता है और उनके उनके सर्वश्रेष्ठ ढंग से आगे बढ़ने के लिए ताकि जैसा वे इसे दृष्टिगत करते हैं वैसा भविष्य हो सके, किस प्रकार के कार्यों, एक संगठन की स्थापना सहित का उत्तरदायित्व लिये जाने की आवश्यकता है। सामाजिक आन्दोलन अनिवार्य रूप से सफल नहीं हो सकते हैं परन्तु वह जो इससे सम्बद्ध होते हैं वे नियत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सम्भावित प्रयास करते हैं। तथापि, एक बार जब वे इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, वे इसे समाप्त कर देते हैं, अन्य आन्दोलनों के उद्‌गमन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं जो कि कदाचित् समाज की विद्यमान आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक हो सकता है। यह निश्चित है कि सामाजिक आन्दोलन कायम रहने के लिए जारी रहेंगे जब तक इस प्रकार के राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठन उत्पन्न होते हैं क्योंकि वे मनुष्यों के उपयुक्त प्रकार के विकास को बढ़ावा देने का आश्वासन दे सकते हैं।

सामाजिक आन्दोलन सम्पूर्ण सामाजिक संरचना को मूलभूत रूप से ठीक करने के लिए सक्षम नहीं हैं, और न उसके परम्परागत स्वरूप में कायम रहने के लिए शोषण युक्त और दुर्व्यवहार पूर्ण सामाजिक व्यवस्था की अनुमति देते हैं। तभी, जैसा कि टी. के. ओमेन (1977 :16) द्वारा कहा गया है कि सामाजिक आन्दोलन, "प्राचीन और नवीन मूल्यों एवं संरचनाओं के बीच संगम के लिए मंच की व्यवस्था करते हैं।"

सामाजिक आन्दोलन समाज कार्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे सामाजिक संरचना में इच्छित परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करते हैं और दुर्व्यवहार एवं शोषण का निवारण करते हैं, और ये सभी समाज कार्य के मुख्य कार्य है।

समाज सुधार

प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक पतन कतिपय समय की परिस्थिति के कारण प्रारम्भ होता है, विशेष रूप से जिस समय इसके अनुयायी विभिन्न प्रकार की प्रथाओं और परम्पराओं के पीछे के मूलभूत उद्देश्यों को भूल जाते हैं। वे विभिन्न संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों के धार्मिक रूप से अनुपालन को कायम रखते हैं और उनसे सम्बद्ध रहते हैं, मुख्यतः इसलिए कि उनके पूर्वजों ने इसका निर्वहन किया है। परिणामस्वरूप, वे विभिन्न प्रकार की

सामाजिक बुराइयों को बढ़ाते हैं जो व्यक्तिगत विकास में रुकावट डालती हैं और प्रभावी सामाजिके क्रिया को अवरुद्ध करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में खुली 'वर्ग' व्यवस्था बन्द जाति व्यवस्था में अधः पति हो गयी है जो आगे अस्पृश्यता, अदर्शनीयता और यहां तक कि अप्राप्यता में बदतर हो गयी है।

जब सामाजिक बुराइयों का एक बड़े पैमाने पर अविर्भाव प्रारम्भ होता है और स्पष्ट रूप से विशाल होता है, कुछ प्रबुद्ध लोग उन्हें एक गम्भीर विचार देना आरम्भ कर देते हैं और उनसे मुक्ति पाने के लिए साधनों की योजना बनाते हैं, और यह वह परिस्थिति है जब समाज सुधार प्रारम्भ होता है। वेबस्टर्स एनसाइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्शनरी (1996 : 206) के अनुसार, 'सुधार' शब्द का अभिप्राय है "जो भी त्रुटिपूर्ण, भ्रष्ट, असंतोषजनक, इत्यादि है उसमें सुधार या संशोधन।" इस प्रकार समाज सुधार, का कथन वृहत रूप से, अनैतिक, दूषित, भ्रष्ट और त्रुटिपूर्ण कार्यों के उन्मूलन से सम्बन्ध रखता है जो मनुष्य और समाज के विकास में बाधा डालते हैं। एम० एस० गोरे (1987 : 83) के अनुसार "समाज सुधार समझाने–बुझाने और जनशिक्षा की प्रक्रियाओं के माध्यम से एक इच्छित दिशा में सामाजिक मनोवृत्तियों, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित भूमिका की प्रत्याशाओं और लोगों के व्यवहार के वास्तविक प्रतिमानों में परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु एक सुविचारित प्रयत्न को सम्मिलित करता है।"

यहां हम सामाजिक सुधार को समान रूचि रखने वाले लोगों द्वारा बनाये गये सोद्देश्यपूर्वक निर्मित सामूहिक और अहिंसात्मक प्रयासों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामान्यतः विश्वास करते हैं और अनुभव करते हैं कि उनके समाज में प्रचलित असंदिग्ध कार्य सामाजिक प्रगति को अवरूद्ध कर रहे हैं और मानव विकास में बाधा डाल रहे हैं, जिसका लक्ष्य सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को मौलिक रूप से पूरी तरह ठीक किये बिना उनका उन्मूलन करना है जिसे वे, आमतौर से सन्तोषजनक मानते हैं।

समाज सुधार की प्रमुख विशेषताएँ हैं :

1) कुछ सामाजिक बुराइयों की विद्यमानता जो समुचित मानव वृद्धि और सामाजिक विकास में बाधा डालते हैं।

2) सामाजिक बुराइयों को कम करने और उन्मूलन करने के लिए लोगों द्वारा सुविचारित सामूहिक और केन्द्रित प्रयासों को किया जाना।

3) समाज में सामान्य रूप से प्रचलित परिस्थिति के साथ पूर्णतया सन्तोष होना और यह विश्वास बना रहना कि सम्पूर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता ।

3) समाज में सामान्य रूप से प्रचलित परिस्थिति के साथ पूर्णतया सन्तोष होना और यह विश्वास बना रहना कि सम्पूर्ण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता ।

4) जिन क्षेत्रों में बुरे आचरण विद्यमान है उनमें इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करने के लिए अहिंसात्मक तरीकों और साधनों की नियुक्ति करना और इस तरह के उपायों के प्रयोग जैसे–समझाना–बुझाना, आत्म विवेकीकरण, हृदय परिवर्तन इत्यादि विद्यमान बुराइयों के उन्मूलन के लिए नेतृत्व कर सकते हैं।

यहां पर समाज सुधार और विद्रोह के बीच समानताओं और विभिन्नताओं को भी समझना उचित होगा। अत्यधिक प्रभावी समानतायें हैं : (1) दोनों के ही मामलों में समाज में विद्यमान परिस्थिति के प्रति असन्तोष उल्लेखनीय है। दोनों ही सामाजिक परिस्थितियों में इच्छित परिवर्तनों को उत्पन्न करते का प्रयास करते हैं ताकि मनुष्य और समाज के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। (3) सुधार और विद्रोह के भी मामले में, प्रारम्भ करने वाले/नेता वैध तरीके से समुदाय के आलसी/निष्क्रिय सदस्यों से जागरूक होने की अपील करते हैं और उनके वादों को सम्मिलित करते हैं (4) दोनों, यदि आवश्यकता हो तो, हिंसा के साधनों और तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों के बीच जहां तक विभिन्नताओं का सम्बन्ध है, तुलनात्मक रूप से अधिक विचारणीय है : (1) समाज सुधारक सम्पूर्ण परिस्थितियों के साथ कम या अधिक सन्तुष्ट होते हैं जो समाज में विद्यमान हैं और उनका असन्तोष केवल सामाजिक जीवन के निश्चित विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है। इसके विपरीत, विद्रोह के मामले में, सामान्यतः विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था तथा मूल्यों के प्रति असन्तोष उल्लेखनीय है जो उन्हें विनियमित करता है और जो लोग नेतृत्व करते हैं वे उन्हें समाप्त करने के लिए लोगों को तैयार और संगठित करना चाहते हैं। (2) जब समाज सुधारक सत्ता तक पहुँचते हैं या उसे प्रभावित करते हैं वह सामाजिक जीवन के निश्चित क्षेत्रों में जिसे वे अवांछनीय समझते हैं और जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं इच्छित परिवर्तनों को आरम्भ करने के लिए इस प्रकार की नीतियों को विरूपित करते हैं और इस प्रकार के अधिनियम बनाते हैं जो मार्गदर्शन कर सके, क्रान्तिकारी मूलभूत रूप से पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं और यहां तक कि, यदि सम्भव तो समाप्त कर देना चाहते हैं, कुछ मामलों में, विद्यमान सामाजिक संरचना और व्यवस्था जिसमें उनके विचार बुनियादी रूप से अपभ्रष्ट हो गये हैं, अनिवार्य रूप से हमेशा रक्तपात के कारण नहीं होते (शर्मा में पिम्पले (सम्पादित); 1987 : 2–3)

समाज सुधार का अध्ययन व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों की सामाजिक क्रिया में सुधार करने और सामाजिक संरचना और व्यवस्था में इच्छित परिवर्तनों को प्रारम्भ करने से सम्बन्धित होते हैं; और ये दोनों उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं जब तक कि समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ और दूषित एवं अवांछनीय प्रथायें और व्यवहार विद्यमान बने रहते हैं। सामान्यतः समाज कार्यकर्ता, उनके गैर–क्रान्तिकारी दृष्टिकोण के प्रति विश्वास के कारण समाज में इच्छित परिवर्तनों को प्रारम्भ करने को ग्रहण कर सकते हैं, सामाजिक सुधार के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, सती, पर्दा–प्रथा, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के साथ प्रारम्भ करके सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करना चाहते हैं।

सामाजिक संजाल (नेटवर्क)

संजाल सामान्यतः तन्तुओं, रेखाओं, शिराओं, उद्धरणों या उसी तरह के किसी जाल के समान संयोजन की ओर संकेत करता है। स्कॉट (कूपर एवं कूपर में (सम्पादित) 1996: 795) के शब्दों में, "एक सामाजिक संजाल व्यक्तियों, समूहों और अन्य सामूहिक गतिविधियों के सामाजिक सम्बन्धों मे संयोजन का कोई मुखर प्रतिमान है।" इस शब्द की उत्पत्ति को भूतकाल में 1930 के दशक मे खोजा जा सकता है जब बहुत से समाज वैज्ञानिकों ने समाज के सन्दर्भ में 'संजाल', 'विन्यास', इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। बुनियादी रूप से वस्त्रों से लिये गये, ये रूपक सामाजिक सम्बन्धों के गुंथे हुए तथा अन्तर्ग्रथित प्रकृति और लक्षणों की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किये गये थे जिसे समाज में लोग अपनी विभिन्न प्रकार की भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के उद्देश्य से स्थापित करने हेतु प्रयत्न करते हैं। ये शब्द प्रारम्भिक रूप से मानवशास्त्र में रैडक्लिफ ब्राउन और सामाजिक मनोविज्ञान में जेकब एल. मोरेनो द्वारा प्रयोग किये गये थे। यह मोरेनो थे जिन्होंने एक आरेख की सहायता से एक सामाजिक संजाल को चित्रित करने के विचार को 'समाजमिति' कहकर प्रतिपादित किया था। यह 1950 का दशक था जब सामाजिक जाल की एक सुस्पष्ट कार्य प्रणाली अस्तित्व में आयी। यह जार्ज होमैन थे जिन्होंने वर्ष 1951 में संजाल रूपक को सुव्यवस्थित किया। संजाल के विश्लेषण का मूल विचार विभिन्न विषयों के क्रम में और विषयों के प्रतिमान का अन्त:सम्बन्ध है जो इन दशाओं को गणितीय रूप से संसाधित करके जोड़ सकता है।

समाज कार्य में 'संजाल' शब्द रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के एक अन्तः सम्बन्ध या जाल या विन्यास की ओर संकेत करने के विशिष्ट अर्थ में किया जाता है जो समान उद्देश्यों के लिए प्रयत्न में लगे होते हैं, एक

समन्वित और प्रभावी ढंग से साथ–साथ कार्य करने के विचार से स्थापित हैं। समकालीन सामाजिक व्यवस्था जिसमें राज्य क्रमिक रूप से सामाजिक क्षेत्र से अलग हो रहा है, यह कार्य मुख्यतः स्वैच्छिक संगठनों के करने के लिए छोड़ रहा है, उनके सदस्यों में कुकुरमुत्ते जैसी वृद्धि हो रही है; और एकाकी रूप से उनमें से अधिकांश बहुत कमजोर हैं; और यह अनिवार्य हो जाता है कि सामाजिक संजाल को उनके जालपादों अस्तित्व और समन्वित क्रियाओं के माध्यम से उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए स्थापित किया जाये।

सामाजिक संजाल की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि समाज कार्य में प्रयोग की जाती हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं :

1) समान रूचि रखने वाले गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन समुदाय आधारित संगठन विशिष्ट क्षेत्रों में एक विशेष स्थान में कार्य कर रहे हैं जो कि सम्भवतः ऐसा सीमित जैसे एक कस्बा/शहर या ऐसा विस्तृत जैसे सम्पूर्ण विश्व हो सकता है, अपना स्वयं का एक जाल बनाने के लिए साथ–साथ आते हैं।

2) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन कुछ भली प्रकार से उल्लिखित मामलों या कार्यों के लिए कार्य करने हेतु सहमत होते हैं।

3) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन अपने सामान्य हितों के संरक्षण और प्रोन्नति के लिए सामाजिक संजाल स्थापित करते हैं और उसके फलस्वरूप पारस्परिक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से उन्हें पुष्ट करते हैं।

4) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन एक सामान्य रूप से सहमति पर आधारित आचार संहिता के प्रति दृढ़ रहने और उनके अनुपालन के लिए सहमत होते हैं।

5) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन कार्य करने के लिए अपने सामाजिक संजाल को समर्थ करने हेतु एक विधि के गठन के लिए योगदान देते हैं।

6) सामाजिक संजाल सामान्य रूप से पोषण कार्य के विशेष सन्दर्भ में गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के सदस्यों के स्वाभाविक हितों के संरक्षण और बढ़ावा देने हेतु एक विविधतापूर्ण व्यापक कार्यक्रमों और गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेते हैं और बहुस्तरीय कार्यों को सम्पन्न करते हैं।

7) ये गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन सामान्य रूप से विकसित होने और आचार संहिता पर सहमति के प्रति सहमत होते हैं जब वे अपने कार्यों को सम्पन्न कर रहे होते हैं, इसी प्रकार जब सामाजिक संजाल के दूसरे

साझीदारों से या अन्य गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन/समुदाय आधारित संगठन या सरकारी विभागों या सेवार्थियों या समुदाय के लोगों से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हों।

ये सामाजिक संजाल समाज कार्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं क्योंकि ये आवश्यक संसाधनों को गतिमान करने और स्वस्थ जनमत के निर्माण और लोगों के हितों को बढ़ावा देने, विशेष रूप से समाज के कमजोर और आघात पहुँचाने योग्य वर्गों, सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता देने और सामाजिक बुराईयों जो मानव विकास और लोगों की प्रभावी क्रिया में बाधा डालती है के त्वरित उन्मूलन में सहायता देने के लिए संगठित मंच की व्यवस्था करते हैं।

साराश

इस अध्याय में हमने समाज कार्य से सम्बन्धित कुछ मूलभूत अवधारणाओं का अवलोकन किया। हमने दान, स्वैच्छिक क्रिया और श्रमदान के मध्य विभिन्नताओं और समानताओं, यदि कोई हो, की जानकारी प्राप्त की। दान आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए वस्तु के रूप में या अन्य प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के विषय से सम्बन्ध रखता है। अधिकांश धर्मों ने धार्मिक पुण्य प्राप्त करने के लिए दान के अभ्यास का समर्थन किया है। स्वैच्छिक क्रिया व्यक्तियों द्वारा बदले में किसी ठोस लाभ की अपेक्षा किये बिना दूसरों की परिस्थितियों में सुधार करने हेतु की जाती है। सम्भवतः यह लगाव और करूणा की स्वाभाविक अनुभूति द्वारा अभिप्रेरित हो सकती है। परन्तु आजकल प्रायः हम देखते है कि बहुत से लोग जो स्वैच्छिक क्रिया में लगे होने का दावा करते हैं वे सामाजिक प्रेरकों से कम निर्देशित होते हैं। श्रमदान उन गतिविधियों को करने जो सामान्य हित में परिणत होंगी के लिए निशुल्क शारीरिक श्रम का योगदान करता है। सामाजिक आन्दोलन एक सामान्य समस्या को दूर करने हेतु एक सुस्थिर संस्थागत संरचना के बाहर सामूहिक कार्य है। सामाजिक आन्दोलन की अवधारणा से घनिष्टता से सम्बन्धित है, समाज सुधार जिसका अर्थ सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु लोगों के आचरणों में परिवर्तनों को उत्पन्न करना है। आपको यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि एक समाज कार्य व्यावसायिक द्वारा इन शब्दों के प्रयोग के मार्ग में और एक साधारण व्यक्ति द्वारा इनके प्रयोग के मार्ग में पर्याप्त विभिन्नता है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपको इन्हें इस प्रकार प्रयोग करना चाहिये जिस प्रकार इन्हें व्यावसायिकों को प्रयोग करना चाहिये।

समस्या को दूर करने हेतु एक सुस्थिर संस्थागत संरचना के बाहर सामूहिक कार्य है। सामाजिक आन्दोलन की अवधारणा से घनिष्टता से सम्बन्धित है, समाज सुधार जिसका अर्थ सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु लोगों के आचरणों में परिवर्तनों को उत्पन्न करना है। आपको यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि एक समाज कार्य व्यावसायिक द्वारा इन शब्दों के प्रयोग के मार्ग में और एक साधारण व्यक्ति द्वारा इनके प्रयोग के मार्ग में पर्याप्त विभिन्नता है। एक विद्यार्थी होने के नाते आपको इन्हें इस प्रकार प्रयोग करना चाहिये जिस प्रकार इन्हें व्यावसायिकों को प्रयोग करना चाहिये।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

एम्बरकॉम्बी, निकोलस, (1986), स्टीफन हिल एवं ब्रिन एस. टर्नर, द पेन्गविन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, पेन्गविन बुक्स लि0, हार्मन्ड्सवर्थ, मिडिलसेक्स, इंग्लैण्ड।

कैसिडी, एच. एम.; (1943), सोशल सिक्योरिटी एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन इन कनाडा, हम्फ्रीज़, बोस्टन।

देसाई, "एच.एम.; सोशल वेल्फेयर एक्टिविटीज़ बाई रिलिजीयस ग्रुप–पारसीज" इन द प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित); एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क ऑफ वाल्यूम टू, पब्लिकेशन डिवीजन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

दियानी, मारियों, "कृद कानसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेन्ट", (1992), द सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 40(1)।

डनहम, अर्थर, कम्यूनिटी वेल्फेयर आर्गेनाइज़ेशन:, (1958), प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रेक्टिस, थॉमस वाई कान्वेल कम्पनी, न्यूयार्क।

फक्स, मार्टिन एण्ड एन्जे लिंकेन–बच, (2003), "सोशल मूवमेन्ट्स" इन वीणादास (सम्पादित); द ऑक्सफोर्ड इण्डिया कम्पेनियन टू सोशियोलॉजी एण्ड सोशल एन्थ्रोपोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू डेल्ही।

फ्रिडलेण्डर, डब्ल्यू.ए., (1963), इन्ट्रोडक्शन टू सोशल वेल्फेयर, प्रेन्टिस–हॉल ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

गोरे, एम. एस., (1967), "सोशल रिफार्म," इन मिनिस्ट्री ऑफ वेल्फेयर, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित), इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूम थ्री, पब्लिकेशन्स डिवीजन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, न्यू डेल्ही।

जेकब, के. के., (1985), मेथड्स एण्ड फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।

मैड्डेन, पाउल, (1995), "सोशल मूवमेन्ट्स, इन फ्रैन्क एन. मैगिल (सम्पादित); इन्टरनेशलन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी, वाल्यूम–टू, फिट्ज़रॉय डियरबॉर्न पब्लिशर्स, लन्दन।

मैक एडम, डॉग, जॉन डी., मैक क्रेथी एण्ड मायर एन जाल्ड, (1988), "सोशल मूवमेन्ट्स," इन एन. जे. स्मेल्सर (सम्पादित), हैण्डबुक ऑफ सोशियोलॉजी, सेज पब्लिकेशन्स, लन्दन।

मूर्थी, एम. वी., (1966), सोशल एक्शन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।

मुजीब, एम., "सोशल वेल्फेयर ऐक्टिविटीज़ बाई रिलिजेन्स ग्रुपस–मुस्लिम्स" इन द प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित), इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वाल्यूम टू।

निकोलस, एम्बरकॉम्बी, (1984), स्टीफन हिल एण्ड ब्रिन एस. टर्नर, द पेन्गविन डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी, पेन्गविन बुक्स लि., हार्मन्ड्सवर्थ, मिडिलसेक्स, इंग्लैण्ड।

ओमेन, टी. के., (1977), "सोशियोलॉजिकल इश्यूज़ इन द एनालिसिस ऑफ सोशल मूवमेन्ट इन इन्डिपेंडेंट इण्डिया," सोशियोलॉजिक बुलेटिन, 26(1)।

पिम्पले, पी. एन., (1987), "सोशल रिफार्मस एण्ड चेन्ज" इन सतीश के. शर्मा (सम्पादित), सोशल प्रोटेस्ट एण्ड सोशल ट्रान्सफारमेशन, आशीष पब्लिशिंग हाउस, न्यू डेल्ही।

प्रे, कैनेथ एल. एम., (1945), "सोशल वर्क एण्ड सोशल ऐक्शन" प्रोसीडिंग्स, नेशनल कान्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क।

रिचमण्ड, मेरी ई., (1922), व्हाट इज़ सोशल केस वर्क? रसले सेज फाउण्डेशन, न्यूयार्क।

स्कॉट, जॉन, (1996), "सोशल नेटवर्कस," इन एडम कूपर एण्ड जेसिका, कूपर (सम्पादित), रूटलेज, लन्दन।

सिंह, गोपाल, "सोशल वेल्फेयर ऐक्टिविटीज बाई रिलिजेन्स ग्रुप–सिक्ख," इन द प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया (सम्पादित) इन साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन वाल्यूम टू।

विकेन्डन, एलिजाबेथ, (1958), "सोशल एक्शन," इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क," नेशनल ऐसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, न्यूयार्क।